मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9/2/2009/नियम/चार(भाग-2) भोपाल दिनांक 03 अगस्त, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- दिनांक 1-1-2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त/ दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

***

राज्य शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01 जनवरी, 2006 से करने के निर्देश प्रसारित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन अथवा परिवार पेंशन का पुनरीक्षण निम्नानुसार किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है :-

1. **पेंशन-** पेंशन का निर्धारण अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) के आधार पर होगा । पेंशन 33 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अंतिम माह के मूलवेतन के 50% की दर से देय होगी । न्यूनतम पेंशन रूपये 3025/- प्रतिमाह होगी ।

2. **परिवार पेंशन-** अंतिम मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड पे) के 30% की दर से देय होगी । न्यूनतम पेंशन रूपये 3025/- प्रतिमाह होगी । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक रहेगी ।

3. **अतिरिक्त पेंशन -** वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी :-

पेंशनर/ परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 20 %
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 30 %
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 40 %
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 50 %
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 100 %

अतिरिक्त पेंशन, संवितरणकर्ता अधिकारी स्वीकृत करेंगें । इसके लिये पृथक से प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी । अतिरिक्त पेंशन की राशि पेंशनर भुगतान आदेश में पृथक से दर्शायी जायेगी । सेवानिवृत्त पेंशन भोगी के पेंशन आदेश में उल्लेखित जन्मतिथि के आधार पर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी । परिवार पेशन भोगी के मामले में आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी । अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेगें उस माह के आगामी माह से देय होगी ।

4. दिनांक 31-8-08 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन परिलब्धियों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

क. **मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी)** की अधिकतम राशि रूपये 3.50 लाख को बढाकर 01 सितम्बर, 08 से रूपये 10.00 लाख (दस लाख) किया जाता है । ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करने के लिए अंतिम माह का मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड पे) तथा इस पर देय महँगाई भत्ता गणना में लिया जायेगा । 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर **16½** (साढे सोलह) माह की उपलब्धियाँ अथवा राशि रूपये 10.00 लाख जो भी कम हो, देय होगी ।

ख. **पेंशन के कम्युटेशन** मूल्य की गणना म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम-1996 के नियम-8 के तहत म.प्र. शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-8-98/PWC/चार, दिनांक 7-2-2000 द्वारा जारी संशोधित सारणी (राजपत्र दिनांक 18-02-2000 में प्रकाशित) के अनुसार की जाएगी ।

ग. **अर्जित अवकाश नगदीकरण** के लिए मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड पे) तथा इस पर देय महँगाई भत्ते को मासिक उपलब्धियाँ माना जाएगा । अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता तथा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी ।

5. दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 तक की अवधि के बीच सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन / परिवार पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान में काल्पनिक तौर पर निर्धारित की जाकर वास्तविक भुगतान 01 सितम्बर, 2008 (माह सितम्बर, 08 की पेंशन जो 01 अक्टूबर, 08 को देय होगी) से देय होगा ।

6. यह आदेश मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 तथा म.प्र. कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1979 के अधीन देय पेंशन पर लागू होगें ।

7. इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन / परिवार पेंशन, मूल पेंशन होगी । दिनांक 01 सितम्बर, 2008 (माह सितम्बर, 2008 की पेंशन जो माह अक्टूबर, 2008 में देय) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई, 2009 (माह जुलाई, 2009 की पेंशन जो माह अगस्त, 2009 में देय) से 16 प्रतिशत की दर से मँहगाई राहत देय होगी । उपरोक्त पैरा-3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत देय होगी । महँगाई राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित महँगाई राहत के आदेशों के अनुसार होंगी ।

8. पेंशन / परिवार पेंशन के उपर्युक्त अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 तथा मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी (पेंशन) नियम 1979 में आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किये जायेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग